



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228059, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmisc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmisc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2019/1199

दिनांक : 16/7/19

कार्यालय आदेश

M/s Navketan Research & Laboratories Pvt. Ltd, F-107&108, MIDC, Waluj, Aurangabad-431136 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(229) /RMSCL /PROCUREMENT /DRUG/NIB-09/2017/898 दिनांक 31.07.2017 के तहत औषधि Povidone Iodine Solution IP 10% (code no. 572) के क्रयादेश क्रमांक 2065 दिनांक 04.10.2018 के द्वारा 1833 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 2700 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा 3135 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 3572 दिनांक 28.01.2019 के द्वारा 3526 मात्रा 45 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 633 दिनांक 21.05.2019 द्वारा नोटिस जारी किया गया। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की पलैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्माता फर्म को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया। दिनांक 28.06.2019 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई। फर्म की ओर से अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म द्वारा नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की शून्य/आंशिक मात्रा आपूर्ति की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति पत्र क्रमांक 561 दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्राप्त दिनांक 28.06.2019 को आयोजित मीटिंग की मिनट्स की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता M/s Navketan Research & Laboratories Pvt. Ltd, F-107&108, MIDC, Waluj, Aurangabad-431136 को औषधि Povidone Iodine Solution IP 10% (code no. 572) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

